

मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीतिगत कार्ययोजना संबंधी विवरण

क. राजकोषीय संकेतक- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में चल लक्ष्य

		संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	(संभावित)	
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	राजकोषीय घाटा	3.4	3.4	3.0	3.0
2.	राजस्व घाटा	2.2	2.2	1.7	1.5
3.	प्राथमिक घाटा	0.2	0.2	0.0	0.0
4.	सकल कर राजस्व	11.9	12.1	12.1	12.2
5.	कर-भिन्न राजस्व	1.3	1.3	1.3	1.3
6.	केन्द्रीय सरकार का ऋण	48.9	47.3	45.4	43.4

1. उपर्युक्त सारणी में सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 के दौरान विनिर्दिष्ट राजकोषीय संकेतकों और 2020-21 और 2021-22 के लिए संभावित लक्ष्यों की तुलना में राजकोषीय निष्पादन के अनुमान दिए गए हैं। उपर्युक्त सारणी से यह संकेत मिलता है कि सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 दोनों में राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहेगा। 2018-19 में एफआरबीएम के 3.3 प्रतिशत के लक्ष्य को 2019-20 में घटाकर 3.1 प्रतिशत तक लाया जाना है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व 2019-20 में बढ़कर जीडीपी का 12.1 प्रतिशत होने और जीडीपी के 12.2 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचने के पूर्व 2020-21 में उस स्तर पर स्थिर होने की आशा है।

2. उपर्युक्त सारणी में दर्शाए गए केंद्रीय सरकार के ऋण में धारा 2 (कक) के अनुसार चालू मुद्रा दर पर आंके गए विदेशी ऋण के साथ उस तारीख के अंत में उपलब्ध नकदी शेष को घटाकर, भारत की संचित निधि से की जाने वाली सभी देनदारियां और सभी सरकारी लेखा देनदारियां शामिल हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार के ऋण में ईबीआर शामिल नहीं है क्योंकि वास्तव में उठाई गई धनराशि व्यय के पैटर्न और बाजार की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है तथा यह सही रूप में वित्त वर्ष के अंत में ही उपलब्ध होगी।

3. केन्द्रीय सरकार के ऋण, नकदी शेष घटाकर, में अधोमुखी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। केन्द्रीय सरकार का ऋण, जो 2018-19 के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में 48.8 प्रतिशत अनुमानित था, वह संशोधित होकर 48.9 प्रतिशत हो गया है। आशा है कि 2019-20 में केन्द्रीय सरकार की देनदारियां घटकर जीडीपी का 47.3 प्रतिशत रह जाएंगी। केन्द्रीय सरकार के ऋण की यह अधोमुखी स्थिति 2020-21 और 2021-22 में ऋण के जीडीपी के क्रमशः 45.4 प्रतिशत और जीडीपी के 43.4 प्रतिशत पहुंचने के साथ जारी रहने

का अनुमान है। ऋण के घटने का मुख्य कारण मध्यावधि में संभावित राजकोषीय घाटा तेजी से घटना है और यह केन्द्रीय सरकार के ऋण को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 40 प्रतिशत के भीतर लाए जाने के समग्र उद्देश्य के अनुरूप है। 2019-20 में बजट का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होने तथा 2020-21 में एफआरबीएम अधिनियम के लक्षित मूल्य 3 प्रतिशत रहने तथा 2021-22 में उसी स्तर पर बने रहने की संभावना है।

4. अतिरिक्त बजटीय संसाधन ऐसी वित्तीय देनदारियां होती हैं जिन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाया जाता है और जिनके लिए संपूर्ण मूल धन और ब्याज की अदायगी सरकार के बजट से की जाती है। मंत्रालयों से प्राप्त प्रशासनिक रिपोर्टों के आधार पर, दिसम्बर, 2018 के अंत में ईबीआर के कारण बकाया देनदारियां ₹50,195 करोड़ थीं जो जीडीपी का 0.3 प्रतिशत बैठती हैं। बकाया ईबीआर का अनुमान लगाने और वास्तविक ऋण के भाग के रूप में इसका सटीक अनुमान लगाने के लिए सुदृढ़ लेखांकन और रिपोर्टिंग तंत्र की व्यवस्था लागू की जाएगी।


5. हालांकि राजकोषीय घाटा, एफआरबीएम ऐक्ट में राजकोषीय निष्कर्षों को मापने के लिए कोई उचित पैमाना नहीं है, तथापि एमटीएफपी विवरण में इसे एक संदर्भ संकेतक के रूप में दर्शाया गया है। 2018-19 में संभावित राजस्व घाटा जीडीपी का 2.2 प्रतिशत था जिसे सं.अ. में उसी स्तर पर बनाए रखा गया है। वर्ष के अंत में संशोधित राजस्व घाटा ₹4,10,929 करोड़ होने का अनुमान है जबकि ब.अ. 2018-19 में यह ₹4,16,034 करोड़ था। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत व्यय को तरजीह देता है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए तो निधियां आबंटित कर दी जाती हैं किन्तु उनके अनुवर्ती

अनुक्षण के लिए नहीं। यह ध्यान देना भी जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार की एजेंसियों को ऐसे अंतरण भी, जो योजनाओं के तहत मूर्त आस्तियों का सृजन करते हैं उन्हें केन्द्रीय बजट में राजस्व व्यय के रूप में सहायता अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर मानव संसाधन पूंजी निर्माण में किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माने जाने की अवधारणा का मुद्दा खड़ा होता है।

6. जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कर-भिन्न राजस्व को भी एमटीएफपी विवरण में एक संकेतक के रूप में शामिल किया गया है। कर-भिन्न राजस्व के लिए सरकार के सबसे बड़े अंशदानकर्ता ऋणों पर ब्याज प्राप्ति और लाभांश प्राप्ति हैं। 2018-19 में बजट व्यवस्था में प्रावधान किया गया कर-भिन्न राजस्व ₹2,45,089 करोड़

था। सं.अ. 2018-19 में यह ₹2,45,276 करोड़ पर कुछ ही ऊपर है। ये दोनों मिलकर जीडीपी का 1.3 प्रतिशत बैठते हैं।

7. प्राथमिक घाटा वह दूसरा संकेतक है जिसे 2019-20 से मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण में शामिल किया गया है। प्राथमिक घाटे का आशय राजकोषीय घाटे से ब्याज के भुगतानों को घटाने के पश्चात शेष बचे घाटे से है। ब.अ. 2018-19 में, प्राथमिक घाटे की गणना ₹48,481 करोड़ होने के रूप में की गई थी जो जीडीपी का 0.3 प्रतिशत है। सं.अ. 2018-19 में प्राथमिक घाटा ₹46,828 करोड़ होने का अनुमान है जो जीडीपी का 0.2 प्रतिशत बैठता है। प्राथमिक घाटे में कमी आना एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि यह मौजूदा देनदारियों के लिए भुगतान करने हेतु उधार ली गई निधियों के उपयोग में कमी दर्शाता है।



राजस्व प्राप्तियों के बारे में मध्यावधिक पूर्वानुमान

8. सकल कर राजस्व 2020-21 में 11.9 प्रतिशत और 2021-22 में 13.4 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का पूर्वानुमान है। सकल कर राजस्व में इन वृद्धियों से, यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि 2020-21 और 2021-22 के बीच जीटीआर-जीडीपी अनुपात में 12.1 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि देखने को मिलेगी। जबकि प्रत्यक्ष करों में 14.9 प्रतिशत और 15.3 प्रतिशत की दर पर वृद्धि दृष्टिगोचर होने की आशा है, वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 8.4 और 11.1 प्रतिशत के स्तर पर मामूली संयत स्थिति होने की संभावना है। अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी की वृद्धि दरें मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के समतुल्य रहने की आशा है।

9. विगत कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष करों में अत्यधिक उछाल देखने को मिला है और अंकित जीडीपी की उच्चतर वृद्धि दर की तुलना में इनमें लगातार वृद्धि हो रही है। इससे प्रत्यक्ष कर संग्रहणों में बढ़ोतरी हुई है। यह 2010-11 में जीडीपी के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में जीडीपी का 6 प्रतिशत हो गया है। यह उछाल जारी रहने की संभावना है और 2021-22 में प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात का स्तर 6.9 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है। अप्रत्यक्ष कर भी 2010-11 में जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया है।

सं.अ. 2018-19 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

10. 2018-19 के दौरान मुख्यतः माल एवं सेवा कर के प्रत्याशित संग्रहण की तुलना में कम संग्रह होने के कारण सकल कर राजस्व

अनुमानों में लगभग ₹23,067 करोड़ के समतुल्य मामूली कमी आयी है। 2018-19 के लिए बजट में प्रावधान किया गया अप्रत्यक्ष कर ₹11,16,000 करोड़ था। यह अनुमान संशोधित करके ₹10,42,833 करोड़ कर दिया गया है जो ब.अ. स्तर से ₹73,167 करोड़ कम है। सं.अ. में प्रत्यक्ष कर अनुमान की गणना ₹12,00,000 करोड़ होने का अनुमान है, जो ₹11,50,000 करोड़ की इसकी बजट में दी गई राशि के मुकाबले ₹50,000 करोड़ अधिक है। इससे जीएसटी में संभावित कमी को कुछ हद तक पूरा करने में सहायता मिलेगी। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां कुल मिलाकर बजट व्यवस्था के स्तर पर बने रहने का अनुमान है और सं.अ. 2018-19 में इनके ₹2,45,276 करोड़ होने का अनुमान है।

11. पूंजीगत प्राप्तियों में, 2018-19 में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों का बजट में दिया गया प्रावधान ₹92,199 करोड़ था। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के लिए सं.अ. को ₹93,155 करोड़ रखा गया है। सं.अ. 2018-19 में कुल निवल उधारी को संशोधित करके ₹6,34,398 करोड़ कर दिया गया है जो ब.अ. 2018-19 (₹6,24,276 करोड़) के मुकाबले ₹10,122 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

12. सं.अ. 2018-19 में, कुल व्यय ₹24,57,235 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है जो ब.अ. 2018-19 (₹24,42,213 करोड़) से ₹15,022 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। ब.अ. 2018-19 में ₹21,41,772 करोड़ की तुलना में सं.अ. 2018-19 में राजस्व व्यय ₹21,40,612 करोड़ है जो ₹1,160 करोड़ की मामूली कमी दर्शाता है। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय ब.अ. 2018-19 के मुकाबले सं.अ. 2018-19 में ₹16,183 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। सं.अ. 2018-19 के लिए पूंजीगत व्यय ₹3,16,623 करोड़ था जबकि ब.अ. 2018-19 में यह ₹3,00,441 करोड़ था।

13. वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य को संरचनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप जीडीपी के 0.1 प्रतिशत तक उर्ध्वगामी पुनःसमायोजित किया गया है। इस पर पिछले पैराग्राफों में चर्चा की जा चुकी है। अतः सं.अ. में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।

सं.अ. 2019-20 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

14. ब.अ. 2019-20 में केन्द्रीय सरकार के सकल कर राजस्व का बजट में किया गया प्रावधान ₹25,52,131 करोड़ है। यह सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ₹3,03,03,956 करोड़ (13.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। सं.अ. 2018-19 में ₹12,00,000 की तुलना में ब.अ. 2019-20 में प्रत्यक्ष करों के ₹13,80,000 करोड़ तक पहुंचने का

अनुमान है जो सं.अ. के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आशा है कि 2019-20 के अंत में प्रत्यक्ष कर जीडीपी के 6.6 प्रतिशत होंगे। ब.अ. 2019-20 में अप्रत्यक्ष करों के लिए ₹11,66,188 करोड़ का बजट प्रावधान सं.अ. (₹10,42,833 करोड़) के मुकाबले 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का मुख्य कारण 2019-20 में पूर्वानुमानित जीएसटी संग्रहणों में सुधार होना है। सं.अ. 2018-19 में ₹2,45,276 करोड़ की तुलना में 2019-20 में कर-भिन्न राजस्व के लिए बजट में किया गया प्रावधान ₹2,72,647 करोड़ है। यह सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ₹27,371 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

15. ब.अ. 2019-20 में पूंजी के संबंध में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां ₹1,02,508 करोड़ होने की आशा है। यह सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ₹9,353 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का प्रमुख कारण विनिवेश है जिसके लिए ₹90,000 करोड़ का बजट प्रावधान (सं.अ. 2018-19 - ₹80,000 करोड़) है। 2019-20 में कुल निवल उधारियां ₹7,03,999 करोड़ होने की संभावना है जबकि सं.अ. 2018-19 में ये ₹6,34,398 करोड़ थीं। यह सं.अ. की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

16. 2019-20 में कुल व्यय ₹27,84,200 करोड़ पर स्थिर है जो सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ₹3,26,965 करोड़ (13.3 प्रतिशत) अधिक है। ब.अ. 2019-20 में राजस्व व्यय ₹24,47,907 करोड़ होने का अनुमान है जबकि सं.अ. 2018-19 में यह ₹21,40,612 करोड़ था। यह सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ब.अ. 2019-20 में ₹3,07,295 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है जिसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है। मुख्य रूप से निम्नलिखित मदों- राज्यों को ₹81,515 करोड़ के समतुल्य अनुदान और ऋण- में बढ़ोतरी देखी गई। अन्य महत्वपूर्ण बढ़ोतरियों का कारण ब्याज भुगतानों में वृद्धि (₹87,497 करोड़) है। पूंजीगत व्यय में सं.अ. 2018-19 में ₹3,16,623 करोड़ से ब.अ. 2019-20 में बढ़कर ₹3,36,293 करोड़ होने का अनुमान है।

17. जीएसटी सुधारों और राजस्वों के पूर्ण लाभ प्राप्त होने में कुछ और अधिक समय लगने की संभावना है और इसलिए 2019-20 में भी स्थिरता चरण जारी रहने की आशा है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019-20 में किसानों के लिए आय समर्थन योजना के पूर्ण राजकोषीय प्रभाव को भी महसूस किया जाएगा। अतः 2019-20 में भी राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2020-21 और 2021-22 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

18. पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में सकल कर राजस्व में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है। 2021-22 में कर-जीडीपी अनुपात बढ़कर 12.2

प्रतिशत होने की आशा है। ये आंकड़े जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के समावेशी आंकड़े हैं। केन्द्रीय सरकार की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी का 1.3 प्रतिशत रहने की आशा है। पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ, कर-भिन्न राजस्व 2020-21 में ₹3,06,000 करोड़ और 2021-22 में 3,43,500 करोड़ पहुंच जाने की आशा है।

19. 2019-20 की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में कुल सरकारी व्यय निम्न दर पर बढ़ने की आशा है। कम वृद्धि दर का मुख्य कारण राजस्व संबंधी व्यय है। दूसरी ओर पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने का अनुमान है जिससे पूंजीगत व्यय (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में) 2020-21 में 12.8 प्रतिशत और 2021-22 में 13.8 प्रतिशत हो जाएगा। 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार का ऋण घटकर क्रमशः 45.4 प्रतिशत और 43.4 प्रतिशत रहने की आशा है। तथापि, ईबीआर के समावेशन के साथ इस आंकड़े में मामूली सीमा तक वृद्धि हो जाएगी।

20. प्राप्तियों और व्यय के उपर्युक्त अनुमानों के साथ, लक्षित राजकोषीय पथ प्राप्त करने में और वित्त वर्ष 2020-21 तक 3 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने और तत्पश्चात इसके जारी रहने की आशा है। वित्त आयोग की अवार्ड अवधियों के साथ व्यय का यौक्तिकीकरण और स्कीमों का सामन्जस्य वित्त वर्ष 2019-20 में इसके लिए मुख्य चालक का कार्य करेगा। जीएसटी सुधारों के पूरे लाभ वित्त वर्ष 2020-21 से मिलने शुरू हो जाएंगे और तत्पश्चात सतत राजकोषीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः स्थिर हो जाएंगे। लेकिन कतिपय जोखिम कारकों से भी रूबरू होने की जरूरत होगी। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अक्तूबर, 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है। इसकी सिफारिशें 2020-21 से आगे राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए आधार तैयार करेंगी। इसके अलावा, समग्र राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थिति का भी राजकोषीय मानकों पर प्रभाव पड़ेगा।

राजकोषीय संकेतकों में अंतर्निहित अनुमान

राजस्व प्राप्तियां

कर-राजस्व

21. 2020-21 और 2021-22 के लिए प्राप्तियों के अनुमान पारंपरिक बना दिए गए हैं। सकल कर राजस्व, जो बजट अनुमान 2018-19 में जीडीपी का 12.1 प्रतिशत होने का अनुमान था जीएसटी व्यवस्था

में स्थिरता लाने में संक्रमणकालीन मुद्दों के कारण अब सं.अ. 2018-19 में 11.9 प्रतिशत होने की आशा है। ब.अ. 2019-20 में, जीटीआर के लिए बजट में ₹25,52,131 करोड़ का प्रावधान है जो जीडीपी का 12.1 प्रतिशत बैठता है। पिछले वर्ष के मुकाबले जीटीआर में 2020-21 और 2021-22 क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत की दर पर बढ़कर 2021-22 में जीडीपी के 12.2 प्रतिशत तक पहुंच जाने की आशा है। पिछले वर्ष के मुकाबले प्रत्यक्ष करों में 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 14.9 प्रतिशत और 15.3 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने की आशा है। प्रत्यक्ष कर संग्रहणों की संभावनाएं वह आधार मामला परिदृश्य है जो कर दरों या स्लैब या आयकर अधिनियम, 1961 के किन्हीं उपबंधों में परिवर्तनों जैसे संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने पर भिन्न हो सकता है। निगम कर के संबंध में 8 वर्षीय औसत उछाल 0.99 और 1.02 है और 2020-21 और 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आयकर क्रमशः 1.52 और 1.55 है।

22. सीमा शुल्क का अनुमान इस अवधारणा के साथ लगाया गया है कि सीमा शुल्क में जीडीपी में मामूल वृद्धि दर की तरह ही वृद्धि होगी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में, एमएस/एचएसडी संबंधी विनिर्दिष्ट दर संरचना के लिए देय, औसत पेट्रोलियम क्षेत्र उपभोग वृद्धि जैसे कारक भी ध्यान में रखे गए हैं। तदनुसार, 2021-22 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 6 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने की आशा है। पिछले वर्ष के मुकाबले अप्रत्यक्ष करों में 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने की गणना की गई है।

23. जीटीआर में वर्षानुवर्ष वृद्धि सं.अ. 2018-19 में 17.2 प्रतिशत और ब.अ. 2019-20 में 13.5 प्रतिशत होने की आशा है। कुल मिलाकर, जीटीआर सं.अ. 2018-19 में ₹22,48,175 करोड़ और ब.अ. 2019-20 में ₹25,52,131 करोड़ रहने का अनुमान है। सं.अ. 2018-19 के लिए प्रत्यक्ष कर अनुमान ₹12,00,000 करोड़ है जो 2017-18 के मुकाबले 19.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और यह 2018-19 के लिए बजट अनुमान से ₹50,000 करोड़ अधिक है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, ब.अ. 2018-19 के दौरान बजट में दिए गए आंकड़ों की तुलना में कम होने की आशा है। आशा है कि सं.अ. 2018-19 में अप्रत्यक्ष करों की राशि ₹10,42,833 करोड़ होगी जो पिछले वर्ष के मुकाबले 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। पिछले वर्ष के मुकाबले 11.8 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 2019-20 में अप्रत्यक्ष करों के लिए बजट में किया गया प्रावधान ₹11,66,188 करोड़ है।

कर-भिन्न राजस्व- नीतिगत उदाहरण

24. कर-भिन्न राजस्व सरकार की राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण घटक है और अब इसे इस विवरण में राजकोषीय संकेतक के रूप

में भी शामिल कर लिया गया है। कर-भिन्न राजस्व में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश शामिल हैं। कर-भिन्न राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण घटक ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां हैं। अधिकतर ब्याज उन राज्यों से प्राप्त होता है जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से कुछ समय पहले ऋण लिया होता है। अन्य कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्तियां, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभार और लगाए गए शुल्क शामिल हैं।

25. आशा है कि कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में वर्षानुवर्ष वृद्धि 2020-21 में 12.2 प्रतिशत और 2021-22 में 12.3 प्रतिशत होगी। कुल मिलाकर, यह अनुमान है कि मध्यावधि में कर-भिन्न राजस्व जीडीपी का 1.3 प्रतिशत रहेगा। सं.अ. 2018-19 में, कर-भिन्न राजस्व में 2017-18 के मुकाबले 27.3 प्रतिशत और ब.अ. 2019-20 में 11.2 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है।

राज्यों को अंतरण- वित्त आयोग

26. सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 में राज्यों को अंतरण हेतु बजट में किया गया प्रावधान क्रमशः ₹1,06,129 करोड़ और ₹1,31,902 करोड़ है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राज्यों को अंतरण 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों के आधार पर है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक लागू हैं। फिलहाल, 2020-21 से और 2021-22 तक राज्यों को अंतरणों का कोई अनुमान लगा पाना संभव नहीं होगा क्योंकि यह 15वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि में आएगा।

पूंजी प्राप्तियां

ऋणों की वसूली

27. ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के दो मुख्य घटक होते हैं, नामशः ऋणों की वसूल और विनिवेश प्राप्तियां। ऋणों की वसूली को सं.अ. 2018-19 में ₹13,155 करोड़ के स्तर पर रखा गया है तथा 2019-20 में बजटीय राशि ₹12,508 करोड़ है। मध्यावधिक संदर्भ में यह 2020-21 और 2021-22 में ₹11,000 करोड़ रहने का अनुमान है।

अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

28. विनिवेश ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों का द्वितीय मुख्य घटक हैं। विनिवेश प्राप्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विक्रय से सरकार को प्राप्त होती हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है। इनमें सामरिक आस्तियों का विक्रय भी शामिल है। विनिवेश प्राप्तियां

जिनका ब.अ. 2018-19 में ₹80,00 करोड़ आंका गया था, सं.अ. 2018-19 में इनके इसी स्तर पर रहने की संभावना है। यह अपेक्षा है कि विनिवेश प्राप्तियां वर्ष 2020-21 और 2021-22 दोनों में ₹80,000 करोड़ के स्तर पर बनी रहेंगी।

29. वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों जिनमें वापसी खरीद/अंतरण शामिल नहीं है, के जरिए लिया गया सकल और निवल बाजार उधार की क्रमशः ₹6,05,539.36 करोड़ और 3,90,120.49 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई थी, जो सकल उधारों में 2.98 प्रतिशत की वृद्धि और निवल उधारों में 0.52 प्रतिशत की गिरावट इंगित करती है। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से प्राप्त निवल बाजार उधारों को जीएफडी के 62.4 प्रतिशत वित्तपोषण के लिए बजटीय व्यवस्था की गई थी। राजकोषीय हुंडियों से निवल उधार, लघु बचत संग्रहणों, राज्य की भविष्य निधियों, निवल विदेशी सहायता तथा नकद का कम आहरण जैसे अन्य स्रोतों व्यवस्था की जीएफडी के शेष 37.5 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए बजटीय की गई थी।

30. केन्द्र सरकार की समग्र देनदारियों में से, मार्च, 2018 के अंत से लगभग 93.8 प्रतिशत घरेलू और 6.2 प्रतिशत वैदेशिक देनदारियां हैं। दिनांकित प्रतिभूतियां मुख्यतः घरेलू संस्थागत निवेशकों जिनमें प्रमुख धारक वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां और भविष्य निधियां शामिल हैं, धारित की जाती हैं। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से निरंतर मांग, एक मजबूत प्राइमरी डीलर्स नेटवर्क से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2019-20 के लिए उधार कार्यक्रम आराम से पूरा किया जाएगा। धारिता की शर्तों में छूट के साथ अप्रैल, 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए संशोधित निवेश सीमाओं से सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसे और अधिक निवेशक आने की अपेक्षा है।

31. सकल बाजार उधार ₹6,05,539 करोड़ के ब.अ. स्तर से कम होकर 5,71,000 करोड़ रह गए हैं। अपने राजकोषीय घाटे की जरूरतों के वित्तपोषण हेतु एनएसएसएफ से ₹50,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रयोग करके यह उधार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के लिए सकल उधारों की आवश्यकता को ₹7,10,000 करोड़ पर रखा गया है जिसमें ₹2,36,878 करोड़ की अदायगी शामिल है। सांकेतिक संदर्भ में, निवल उधार के अनुमान पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 8.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। जीडीपी के संदर्भ में, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिया गया निवल बाजार उधार वित्त वर्ष 2018-19 में 2.5 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में कम होकर 2.25 प्रतिशत पर आ जाएगा।

विदेशी ऋण के माध्यम से लिया गया उधार 2019-20 के दौरान मोटे तौर पर उसी स्तर पर बना रहेगा। बाजार उधार जीएफडी के लगभग 60 प्रतिशत को वित्तपोषित करता है। निवल बाजार उधार ब.अ. 2019-20 को जीडीपी का 2 प्रतिशत माना गया है, इसमें अगले दो वर्षों में गिरावट होकर 2020-21 में जीडीपी का 1.8 प्रतिशत और गिरावट की इसी प्रवृत्ति के अनुरूप वर्ष 2021-22 में 1.8 प्रतिशत रहने की संभावना है। जीएसटी में स्थायित्व आने और सरकारी राजस्व में गति आते ही उधार कम होने की संभावना है। सरकारी घाटे में कमी आने के चलते निजी निवेश और पूंजी अंतर्वाहों के लिए अधिक गुंजाइश बनेगी।

32. ऋण-जीडीपी अनुपात, विशेषकर एफआरबीएम अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात वर्ष 2001-02 में 61.4 प्रतिशत के स्तर से निरंतर गिरावट के बाद हाल ही के वर्षों में स्थिर हो गया है। मार्च 2018 के अंत तक केन्द्र सरकार की देनदारियां जीडीपी का 50.5 प्रतिशत थीं। इनके 2018-19 के अंत तक कम होकर 48.9 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहते हुए, यह आगे और कम होकर वर्ष 2019-20 में 47.3 प्रतिशत, 2020-21 में 45.4 प्रतिशत तथा 2021-22 में 43.4 प्रतिशत तक आने का अनुमान है। उपर्युक्त गिरावट प्राथमिक घाटे में कटौती के साथ कम प्राथमिक घाटे के संबंध में यह अनुमान सांकेतिक दरों पर मुद्रास्फीति को मामूली असर को दर्शाता है।

33. मुद्रास्फीति नियंत्रण के प्रयासों से सरकार को मध्यावधि संदर्भ में लाभ होगा, जहां कम मुद्रा स्फीति से भारत सरकार के नए उधारों की लागत कम होगी, इसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान में कमी आएगी। सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में प्रगामी कटौती ब्याज के भार को कम करेगी और सरकार को अतिरिक्त उधार का रास्ता अपनाए बिना अन्य सामाजिक उत्पादक क्षेत्रों पर व्यय करने की अधिक गुंजाइश मिलेगी।

कुल व्यय

34. कुल व्यय, जो ब.अ. 2018-19 में ₹24,42,213 करोड़ था, को सं.अ. के दौरान संशोधित करके ₹24,57,235 करोड़ के स्तर पर रखा गया है। यह ब.अ. की तुलना में ₹15,022 करोड़ (0.6 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। सं.अ. में कुल व्यय जीडीपी का 13 प्रतिशत है। यह वृद्धि मुख्यतः कृषि क्षेत्र को किए जाने वाले आबंटन में वृद्धि किए जाने के कारण है। ब.अ. की तुलना में सं.अ. 2018-19 में अन्य प्रमुख वृद्धि ब्याज भुगतानों के कारण है जो ₹11,775 करोड़ की वृद्धि दर्शाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए भी ₹7,625 करोड़ की वृद्धि की गई है। रक्षा को छोड़कर पूंजीगत परिव्यय में भी ₹8,424 करोड़ की वृद्धि देखी गई है। आशा है कि कुल व्यय में सं.अ.

2018-19 की तुलना में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह ब.अ. 2019-20 में ₹27,84,200 करोड़ के स्तर पर पहुंच जाएगा, जो जीडीपी का 13.3 प्रतिशत है।

35. कुल व्यय की वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की दर की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में कम दर पर वृद्धि होगी और यह क्रमशः जीडीपी के 11.2 प्रतिशत और जीडीपी के 11.0 प्रतिशत के स्तर पर रहने की संभावना है। पूंजीगत व्यय 2020-21 और 2021-22 में समग्र व्यय वृद्धि को प्रेरित करने की संभावना है जो कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में 2020-21 में 12.8 प्रतिशत तथा 2021-22 में 13.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा।

राजस्व लेखा

36. राजस्व व्यय सं.अ. 2018-19 में ₹21,40,612 करोड़ परिकलित किया गया है जो ब.अ. अनुमान की तुलना में ₹1,160 करोड़ कम है। 2019-20 में राजस्व व्यय ₹24,47,907 करोड़ है जो सं.अ. 2018-19 की तुलना में 3,07,296 करोड़ (14.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। राजस्व व्यय जिसका ब.अ. 2018-19 में कुल व्यय का 87.7 प्रतिशत अनुमान लगाया गया था, कम होकर सं.अ. 2018-19 में 87.1 प्रतिशत पर आ गया। इसमें बढ़ोतरी होकर इसके 2019-20 में 87.9 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। तथापि, मध्यावधि में, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में गिरावट आकर इसके वर्ष 2020-21 में 87.2 प्रतिशत और 2021-22 में 86.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। ब्याज दरों में नरमी और बेहतर लक्ष्य के लिए सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना इसके मुख्य कारण हैं।

37. सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज भुगतान, सब्सिडियां, वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों पर व्यय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्त आयोग अनुदानों, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा अन्य अंतरणों के रूप में किए गए राजस्व अंतरण शामिल हैं। अन्य अंतरण श्रेणी में राज्य सरकारों को जीएसटी के क्रियान्वयन पर हुई राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अंतरण शामिल हैं। केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को दिया जाने वाला अनुदान जो केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का महत्वपूर्ण भाग है, भी राजस्व व्यय ही है। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफ में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

ब्याज भुगतान

38. ब्याज भुगतान केन्द्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है। ब्याज भुगतान व्यय को ब.अ. 2018-19 में ₹5,75,795 करोड़ रखा

गया था, जो राजस्व प्राप्तियों का 33.4 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान व्यय में संशोधन करके सं.अ. 2018-19 में बढ़ाकर ₹5,87,570 करोड़ रखा गया जिसके संशोधित अनुमान में राजस्व प्राप्तियों का 34 प्रतिशत रहने की संभावना है। ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति अनुमान में गिरावट का कारण ₹11,775 करोड़ को ब्याज भुगतान व्यय में वृद्धि ब.अ. (₹3,944 करोड़) की तुलना में सं.अ. में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से अधिक वृद्धि होना है। 2019-20 में, ब्याज भुगतान व्यय ₹6,65,061 करोड़ होने का अनुमान है जो राजस्व प्राप्तियों का 33.6 प्रतिशत है। ब्याज भुगतान में मध्यावधि में कमी आने की संभावना है क्योंकि व्यापार प्रतिस्पर्धा और तेल की अधिक कीमतों से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं का मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव कम होने की संभावना है। इससे सकारात्मक फीडबैक मिलने और ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 2020-21 और 2021-22 में कुल ब्याज भुगतान क्रमशः 32.1 प्रतिशत और 30.8 प्रतिशत रहने की संभावना है।

प्रमुख सब्सिडियां

39. खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर दी जाने वाली प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय, राजस्व व्यय का दूसरा महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय ₹2,64,336 करोड़ के बजटीय स्तर से मामूली सा बढ़कर सं.अ. 2018-19 में ₹2,66,206 करोड़ हो जाने की संभावना है। ब.अ. 2019-20 में, सब्सिडियों पर होने वाला व्यय ₹2,96,684 करोड़ रहने का अनुमान है। यह सं.अ. 2018-19 से 11.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिम्बित करता है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में यह 1.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है। मध्यावधि में, यह संभावना है कि सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने के उपाय से लाभ होगा तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी व्यय कम होकर वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी का 1.3 प्रतिशत रह जाएगा।

रक्षा सेवाएं

40. रक्षा सेवा राजस्व व्यय में मुख्यतः वेतन, स्टोर, सहित अन्य स्थापना से संबंधित मदों पर व्यय, निर्माण कार्य से संबंधित अनुसंधान व्यय, परिवहन तथा अन्य विविध व्यय शामिल हैं। रक्षा सेवा राजस्व व्यय ₹1,88,723 करोड़ के ब.अ. की तुलना में सं.अ. 2018-19 के लिए ₹1,91,431 करोड़ है जो ब.अ. की अपेक्षा सं.अ. में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ब.अ. 2019-20 में, रक्षा सेवाओं (राजस्व घटक) का व्यय परिव्यय ₹2,01,902 करोड़ है जो सं.अ. 2018-19 की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक है। यह अपेक्षा की जाती है कि घटक पर होने वाले व्यय में मध्यावधि में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

41. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग के अनुदान राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत राज्यों को चालू अंतरण राजस्व घाटा अनुदान, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए सहायता अनुदान के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। वित्त आयोग के अनुदानों का ब.अ. 2018-19 में ₹1,09,374 करोड़ अनुमान लगाया गया था। इसे संशोधित करके सं.अ. 2018-19 में ₹1,06,129 करोड़ किया गया है। राजस्व व्यय के इस घटक के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में बजट अनुमान ₹1,31,902 करोड़ है।

42. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों 2019-20 तक लागू हैं। 2020-21 में वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत होने वाले व्यय का इस चरण पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पेंशन

43. पेंशन के अंतर्गत राजस्व व्यय के तीन मुख्य घटक हैं, अर्थात् सिविल पेंशन जिसमें संघ की सरकार के कुछ अपवाद छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों का पेंशन व्यय शामिल है, रक्षा पेंशन तथा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत पेंशन। सं.अ. 2018-19 में पेंशन व्यय 1,66,618 करोड़ रहने का अनुमान है जो ब.अ. 2018-19 की तुलना में थोड़ा सा कम है। पिछले कुछ वर्षों में पेंशन में हुई वृद्धि मुख्यतः 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण है। ब.अ. 2019-20 में पेंशन व्यय ₹1,74,300 करोड़ रहने का अनुमान है जो सं.अ. 2018-19 की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मध्यावधि में भी, पेंशन के भुगतान में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह अपेक्षा की जाती है कि पेंशन संबंधी भुगतान सं.अ. 2018-19 में 0.9 प्रतिशत के स्तर से कम होकर वर्ष 2021-22 में 0.7 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा।

पूंजी परिव्यय

44. सं.अ.2018-19 में सरकार का पूंजी व्यय ₹3,16,623 करोड़ रहने का अनुमान है जबकि ब.अ. 2018-19 में यह ₹3,00,441 करोड़ था। ब.अ. 2018-19 की तुलना में यह ₹16,183 करोड़ (5.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः पूंजी व्यय को मुहैया कराई गई वृद्धि के कारण है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजी व्यय में सं.अ. 2018-19 में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि होने (ब.अ. 2018-19 की तुलना में) और इसके जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। पूंजी व्यय की ब.अ. 2019-20 में ₹3,36,393 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है।

45. पूंजीगत व्यय की मध्यावधि में तीव्र गति से बढ़ने की आशा है। यह प्रत्याशा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 और 2021-22 में पूंजीगत व्यय में क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में, आशा है कि पूंजीगत व्यय 2017-18 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 1.8 प्रतिशत हो जाएगा।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

46. जीएसटी की शुरुआत के कारण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन होने की वजह से 2017-18 में जीडीपी ने मामूली गिरावट दर्ज की। जीडीपी में वृद्धि की गति में सुधार, जो माना गया था कि अल्प से मध्यम अवधि के दौरान हो जाएगा, पहले से ही महसूस होने लगा है। उम्मीद है कि वर्ष 2017-18 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2018-19 में अंकित सकल घरेलू उत्पाद की दर 12.3 प्रतिशत रहेगी। अल्प से मध्यम अवधि में जीडीपी वृद्धि दर मौजूदा स्तरों पर संतुलित व स्थिर रहने की उम्मीद है। वर्ष 2019-20 में, अंकित जीडीपी के 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने और ₹2,10,07,439 करोड़ के स्तर तक पहुँचने की आशा है। जीडीपी में 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट की प्रत्याशा मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत की लक्षित दर पर स्थिर रहने के कारण है। आशा है कि अंकित सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत होगी। वास्तविक संदर्भों में, 2020-21 और 2021-22 के लिए वृद्धि दर क्रमशः ₹2,35,52,637 करोड़ और ₹2,64,56,112 करोड़ रहेगी।

निम्नलिखित के संबंध में धारणीयता का निर्धारण राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन :

47. कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (निवल) तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। आशा है कि ये प्राप्तियां ब.अ. 2018-19 में ₹17,25,738 करोड़ से बढ़कर सं.अ. 2018-19 में ₹17,29,682 करोड़ हो जाएंगी। कर राजस्व (निवल) के सं.अ. 2018-19 में ₹14,84,406 करोड़ रहने की आशा है, जो ब.अ. प्रक्षेपण की अपेक्षा ₹3,757 करोड़ अधिक है। इसके जीडीपी के 7.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। सं.अ. 2018-19 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के भी बढ़कर ₹2,45,276 करोड़ हो जाने की उम्मीद है जो ब.अ. की तुलना में ₹187 करोड़ की बढ़ोतरी को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, ब.अ. 2018-19 की तुलना में सं.अ. 2018-19 में राजस्व व्यय में ₹1,160 करोड़ की गिरावट होने की उम्मीद है। अतः मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2018 में 2.2 प्रतिशत का राजस्व घाटा लक्ष्य हासिल कर लेने की आशा है।

48. ब.अ. 2019-20 में, उम्मीद की जाती है कि कुल राजस्व प्राप्तियां ₹19,77,693 करोड़ रहेंगी जो सं.अ. 2018-19 की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि को प्रतिबिंबित करती हैं। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, यह 9.4 प्रतिशत है। कर राजस्व (निवल) का बजटन ₹17,05,045 करोड़ किया गया है, जो जीडीपी का 8.1 प्रतिशत है। ब.अ. 2019-20 में कर-भिन्न राजस्व के ₹2,72,647 करोड़ रहने की उम्मीद है। कर-भिन्न राजस्व वर्ष 2018-19 और 2019-20 में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत पर स्थिर है। व्यय के लिहाज

से, राजस्व व्यय का बजटन ब.अ. 2018-19 में ₹24,47,907 करोड़ किया गया है, जो जीडीपी का 11.7 प्रतिशत बैठता है। राजस्व घाटा ₹4,70,214 करोड़ परिकलित किया गया है, जो जीडीपी का 2.2 प्रतिशत है।

49. आशा है कि कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2020-21 और 2021-22 में पिछले वर्ष के मुकाबले क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत बढ़ेंगी और जीडीपी के 9.4 प्रतिशत पर बनी रहेगी। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, कर राजस्व (निवल) और कर-भिन्न राजस्व 2019-20 के स्तर पर क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत पर बरकरार रहने की उम्मीद है। हालांकि, मध्यावधि में राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले राजस्व व्यय के कमतर दर से बढ़ने की उम्मीद है। आशा की जाती है कि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2020-21 में 11.2 प्रतिशत तथा 2021-22 में 11.0 प्रतिशत पर आ जाएगा। इसके फलस्वरूप, राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कम होकर जीडीपी का क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत हो जाएगा।

50. तथापि, यह नोट किया जाए कि एफआरबीएम की नई रूपरेखा में, राजस्व घाटा अब एफआरबीएम अधिनियम में कोई लक्षित राजकोषीय संसूचक नहीं रह गया है। प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी), जो राजस्व घाटा तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर होता है, भी अब राजकोषीय लक्ष्य नहीं रह गया है। पिछले पैराओं में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है।

उत्पादक आस्तियां सृजित करने के लिए बाजार उधारों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग

51. राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के बीच का अनुपात मोटे तौर पर सरकार के मौजूदा व्यय के निधियन के लिए किस हद तक उधार लिए गए हैं, उसके बारे में बताता है। इसके सं.अ. 2018-19 में 64.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि आशंका है कि यह अनुपात ब.अ. 2019-20 में गिरकर 66.8 प्रतिशत हो जाएगा। आशा है कि राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का यह अनुपात पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय वृद्धि में गिरावट के कारण वर्ष 2020-21 में 58.2 प्रतिशत तथा 2021-22 में कम होकर 52.3 प्रतिशत रह जाएगा। राजस्व व्यय में बड़ी गिरावट ब्याज दरों के कम स्तरों पर रहने की कल्पना पर आधारित है, जो विदेश की ओर से अपेक्षाकृत कम दबाव और अनुकूल मुद्रास्फीति की कल्पना पर आधारित है।

राजकोषीय नीति की रणनीति का सिंहावलोकन :

अप्रत्यक्ष कर नीति

52. **जीएसटी नीति** : जीएसटी दर संरचना के औचित्यस्थापन के लिए महत्वपूर्ण उपायों पर नीचे चर्चा की गई है।

53. सेवाओं पर जीएसटी दरें 4 स्लैबों यथा 5%, 12%, 18% और 28% पर नियत की गई हैं जो मोटे तौर पर सन्निहित करों सहित केन्द्र और राज्यों की जीएसटी-पूर्व अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर आधारित है। जीएसटी दर संरचना की समीक्षा जीएसटी परिषद द्वारा अपनी अनुवर्ती बैठकों में की गई थी और दर संरचना में कुछ संशोधन अधिसूचित

किए गए थे। व्यापार और उद्योग की ओर से अभ्यावेतन तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 50 विनिर्दिष्ट सेवाओं पर जीएसटी दर में कटौती करते हुए जीएसटी दर के औचित्य स्थापन की बड़ी प्रक्रिया की गई थी और इससे समग्र अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा की जाती है।

54. जीएसटी कराधान से बहुत सारी राहत (i) कृषि, खेती और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, (ii) शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, (iii) पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था सहायता, (iv) बैंकिंग/ वित्त/बीमा सेवाएं, (v) सरकारी सेवाएं, (vi) पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, (vii) निर्माण एवं निर्माण कार्य संविदा सेवाएं, तथा (viii) परिवहन सेवाएं को प्रदान की गई हैं।

55. सेवाओं पर जीएसटी - जन साधारण के लिए किए गए उपाय

- होटल उद्योग को बड़ी राहत यह दी गई है कि आवास सेवा पर कर की दर घोषित किराए के बजाय संव्यवहार मूल्य पर आधारित होगी।
- केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा संचालित वृद्धावस्था घरों के लिए निवासियों (60 वर्ष अथवा अधिक आयु) की ओर से ₹25,000/- प्रतिमाह प्रतिसदस्य द्वारा भुगतान करने पर दी जाने वाली सेवाओं को छूट दी गई है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास द्वारा प्रशासनिक शुल्क के रूप में भुगतान करने पर अपने सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं पर छूट दी गई है।
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथानुमोदित, ₹2 लाख की अधिकतम बीमा राशि वाले सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के अंतर्गत जीवन बीमा व्यापार द्वारा प्रदत्त सेवाओं को छूट दी गई है।
- शैक्षणिक संस्थानों की परिभाषा में विस्तार करके इसमें परीक्षा संचालित करने के सीमित प्रयोजन के लिए शैक्षणिक बोर्डों को शामिल किया गया है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त पुनर्वास व्यावसायिकों द्वारा पुनर्वास/चिकित्सा/ परामर्श और भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 द्वारा यथा सम्मिलित इस प्रकार के अन्य कोई कार्यकलाप के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को छूट दी गई है।
- ₹100 से ऊपर के सिनेमा टिकटों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है और ₹100 तक की सिनेमा टिकटों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है।
- द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सुसाध्य बनाई गई धार्मिक तीर्थयात्राओं के लिए गैर-अधिसूचित/ चार्टर प्रचालनों द्वारा तीर्थों की हवाई यात्रा पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।

56. सेवाओं पर जीएसटी - वर्ष 2017-19 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु किए गए उपाय

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेल अथवा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. अथवा उनके अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ट्रेनों में अथवा प्लेटफार्मों पर सामान, चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या फिर मानव के उपभोग के लिए अन्य कोई चीज अथवा पेय पदार्थ हो, पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। व्यापार संवाददाता (बीसी), व्यापार सुसाध्यकर्ता (बीएफ) के अभिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति सेवाओं, किसी पंजीकृत व्यक्ति को कार्पोरेट निकाय से अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा कार्मिक की आपूर्ति को आरसीएम के अधीन रखा गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप अनुपालन का दायित्व सेवा प्राप्तकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया गया है। माल ढोने वाले वाहनों के तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। केवल ई-बुक की आपूर्ति करने पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।

57. प्रत्यक्ष कर नीति : कर के आधार में विस्तार करने के लिए विधायी उपायों के लिए प्रशासनिक उपायों द्वारा पूर्ति की जानी आवश्यक है ताकि कर में रिसाव और कराधार के अपरदन से बचा जा सके। चूंकि यह अंतरिम बजट है, फिलहाल कराधार में विस्तार करने के लिए किसी भी विधायी उपाय का प्रस्ताव नहीं किया गया है। हालांकि, प्रशासनिक मोर्चे पर, अनुपालन में सुधार लाने, राजस्व संग्रहणों में वृद्धि करने और करदाता सेवाओं को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से बहुत सी पहलें की गई हैं :

- आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया स्थायी खाता क्रमांक (पैन) आयकर विभाग द्वारा जारी "पहचानकर्ता" के रूप में भूमिका अब आय-कर विभाग तक सीमित नहीं रह गई है, अपितु यह विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि बैंक खाता खोलने, डी-मेट खाता खोलने, आय-कर नियमावली, 1962 के नियम 114 बी में निर्धारित वित्तीय संव्यवहार, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) आदि के पंजीकरण हेतु आवश्यक हो गया है। इस प्रकार, कई सारे सरकारी विभागों तथा सेवाओं को पंजीकृत करने के लिए पैन का महत्त्व बढ़ गया है और यह आम कारोबार पहचान संख्या (सीबीआईएन) अथवा सरल शब्दों में कारोबार पहचान संख्या (बीआईएन) बन गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि पैन को एमसीए, सीबीडीटी, ईसीआईसी, ईपीएफओ, डीआईपीपी और डीजीएफटी सेवाओं के संबंध में कारोबार पहचान संख्या (बीआईएन) के रूप में अंगीकृत कर लिया गया है, इसलिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चार घंटों के औसत फेरा समय (टीएटी) में आम आवेदन प्रपत्र के माध्यम से एक दिन में पैन तथा कर कटौती खाता संख्या (टैन) जारी करने के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। परिणाम-स्वरूप, कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) के साथ-साथ एमसीए द्वारा निगमीकरण का प्रमाणपत्र

(सीओआई) कंपनी को जारी कर दिया जाता है जिस पर पैन मुद्रित होता है। तदनुसार, पैन के आंकड़ा आधार ने आर्थिक प्रगति के तरह सतत वृद्धि दर्शाई है। दिनांक 31 अगस्त, 2018 (संचयी) तक आवंटित पैन की प्रगामी संख्या 40,70,37,543 है। चालू वर्ष (31 अगस्त, 2018 तक) 2,67,73,508 पैन आवंटित किए गए हैं।

- परियोजना अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, एक एकीकृत आंकड़ा भाण्डागारण तथा कारोबार आसूचना प्लेटफार्म चरणबद्ध तरीके से शुरु किया जा रहा है ताकि आय-कर विभाग तीन लक्ष्य अर्थात् स्वैच्छिक अनुपालन एवं अननुपालन निवारण का संवर्धन, विश्वास उत्पन्न करना कि सभी अर्हक व्यक्ति उपयुक्त कर का भुगतान करें और एक उचित व विवेकपूर्ण कर प्रशासन का संवर्धन हासिल कर सके।
- आयकर विभाग की प्रमुख परियोजनाओं/आंकड़ा स्रोतों के अंतिम समय में एकीकरण के साथ एक अत्याधुनिक आंकड़ा भाण्डागार की स्थापना की गई है। आंकड़ों के एकीकरण, आंकड़ा भाण्डागारण, आंकड़ा गुणवत्ता प्रबंधन, आंकड़ा संवर्धन और आंकड़ा विश्लेषण करने के लिए आयकर लेन-देन विश्लेषण केन्द्र का भी प्रचालन किया गया है। अधिक जोखिम के आयकर कर विवरणी दायर न करने वालों की पहचान करने, जांच के लिए मामलों का चयन और सूचना का स्वतः आदान-प्रदान (ईओआई) एफएटीसीए आदि के तहत प्राप्त सूचना के प्रक्रियान्वयन के लिए नए मंच का उपयोग किया जा रहा है।
- रिपोर्टिंग संस्थाओं और आयकर विभाग के बीच व्यापक अन्तरापृष्ठ की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित रिपोर्टिंग पोर्टल (<https://report.insight.gov.in>) शुरु किया गया है। रिपोर्टिंग पोर्टल निर्बाध रूप से आंकड़ा, प्रक्रियान्वयन, आंकड़ों की गुणवत्ता की निगरानी और रिपोर्ट आशोधन समर्थ बनाता है।
- कारगर अनुपालना निगरानी और मूल्यांकन के लिए संरचित तरीके से अनुपालना संबंधी मुद्दों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए एक समर्पित अनुपालना पोर्टल (<https://compliance.insight.gov.in>) शुरु किया गया है। अनुपालना प्रबंधन केन्द्रीय प्रक्रियान्वयन केन्द्र का भी प्रचालन स्वैच्छिक अनुपालना की सहायता करने और अनुपालना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अभियान प्रबंधन तरीके को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- परियोजना अंतर्दृष्टि के तहत प्रणालियां लागू करने के कार्य का 2019 तक पूरा होने की संभावना है।
- एकीकृत ई-फाइलिंग और केन्द्रीयकृत प्रक्रियान्वयन केन्द्र 2.0 परियोजना (सीपीसी 2.0), जो हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हुई थी और इसके 2020 तक जीवंत होने की परिकल्पना की गई है, का लक्ष्य, आय कर

विवरणी के पूर्व फाइलिंग जैसे उपाय शुरु करने, और कर दाताओं द्वारा सटीकता में सुधार लाने, और वापसी कम करने/प्रक्रियान्वयन में एकाएक कम समय लगने के उपाय के रूप में स्वीकार किए जाने बकाया कर की मांगों का समाधान करने में कर दाताओं के लिए सुविधा प्रदान करने, करदाताओं की सहायता के लिए एकीकृत सम्पर्क केन्द्र और डिजिटल मीडिया और नियोक्ता/करदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए साझेदार अभिवृद्धि कार्यक्रम के जरिए कर दाता लोन संपर्क कार्यक्रम द्वारा आयकर प्रशासन में सुधार लाना है। इसका अन्य लक्ष्य देशभर में सभी श्रेणियों के करदाताओं द्वारा दायर की गई विवरणियों का सतत एकसमान, नियमानुसार निष्पक्ष रूप से प्रक्रियान्वयन करने के द्वारा समानान्तर समानता सुनिश्चित करना है। इससे प्रत्येक करदाता की स्थिति चाहे कुछ भी हो कर उपाय में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (<https://incometaxindiaefiling.gov.in>) के जरिए आयकर विवरणियों का इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वित्त वर्ष 2006-07 में लगभग 4 लाख से बढ़कर 2017-18 में 674.74 लाख हो गया। करदाताओं के अधिक अनुकूल बनाने के सतत प्रयास के भाग के रूप में, आयकर विवरणी फाइल करने के अलावा अनेक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में लगातार उन्नयन किया गया है। इनमें अन्य आयकर प्रपत्र प्रस्तुत करना जैसाकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के तहत न्यासों के पंजीकरण के लिए आवेदन स्रोत पर कर की शून्य/कम कटौती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, पैन और आधार को जोड़ने की सुविधा, वापसी पुनः जारी करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना, प्रतिनिधि को जोड़ना/पंजीकृत करना, शिकायत संबंधी आवेदनों की प्रस्तुति (ई-निवारण के जरिए) और पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना (ई-पैन) शामिल है। इस पोर्टल में प्रयोक्ताओं के लिए हिन्दी में भी सहायता और सांख्यिकीय विवरण दिए जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, आयकर व्यापार अनुप्रयोग परियोजना में विभाग द्वारा ई-कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं जिसका शुभारंभ 2013 में किया गया था। ई-कार्यवाहियां के अंतर्गत अधिकारी/निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारिती को जारी सभी पत्र सूचनाएं प्रश्नावलियां, आदेश, ई-कार्यवाहियां हेडर के तहत ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर निर्धारिती को अपने खाते में दिखाई देगा। ई-फाइलिंग पोर्टल पर निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत जवाब भी उसी तरह अधिकारी/निर्धारणकर्ता अधिकारी को दिखाई देगा। इससे निर्धारिती को आयकर कार्यालय जाने की जरूरत बिलकुल कम हो गई।

- इस दिशा में, ई-मेल पत्राचार द्वारा (ई-कार्यवाहियों) ई-निर्धारण अक्टूबर 2015 में मुम्बई, दिल्ली, चेन्नै, बंगालुरु और अहमदाबाद में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ किया गया। इससे जांच निर्धारण के लिए आयकर विभाग का कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। वित्त वर्ष 2017-18 से ई-निर्धारण की सुविधा पूरे देश में दे दी गई थी। वित्त वर्ष 2018-19 में ई-मोड से लगभग 97% जांच निर्धारण (लगभग 2.06 लाख) पूरे किए गए थे।
- नागरिक-केन्द्रित अभिशासन की दिशा में विभिन्न पहल भी किए गए हैं, इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :-
 - o आयकर विभाग के नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन हेतु एकल केंद्र प्रणाली और सार्वजनिक सेना प्रदायगी में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए एक तंत्र के रूप में कुल आयकर सेवा केन्द्रों (एएसके) 31-03-2018 तक आयकर विभाग के सभी भवनों में स्थापित किए गए हैं और वित्त वर्ष 2018-19 में और 50 केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।
 - o विभाग ने दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में और भुवनेश्वर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विशाल व्यापार मेला, 2018 सहित व्यापार प्रदर्शनियों में भी भाग लिया जिसका उद्देश्य आम लोगों तक जन संपर्क बढ़ाना, आयकर कानून और कार्यवाहियों के संबंध में उनकी शंकाओं का उत्तर देना तथा आयकर का भुगतान करने के लाभ के संबंध में आगंतुकों के बीच रूचि पैदा करना भी था। विभिन्न कार्यकलाप जैसे कि व्यंगचित्र बनाना, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक चित्र कला प्रतियोगिता का आयोजन भी स्कूली बच्चों के लिए किया गया था।
 - o विभाग के पास एक सुपरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण प्रणाली है जिसे ई-निवारण कहा जाता है और यह ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। यह प्रणाली शिकायत दर्ज करने और इन शिकायतों के निवारण की निगरानी में सहायता करती है जो भारत सरकार की केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और नामोदिष्ट पैन सेवा प्रदाताओं के जरिए प्राप्त भी होते हैं।

व्यय नीति:

58. ब.अ. 2019-20 में कुल व्यय ₹27,84,200 करोड़ रखा गया है, जो 2018-19 में कुल व्यय के संशोधित अनुमान ₹24,57,235 करोड़ से 13.3 प्रतिशत अधिक है। ब.अ. 2019-20 और सं.अ. 2018-19 में कुल व्यय के अनुमान में माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है। सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2018-19 में कुल व्यय का अनुमान व्यय की गति, अव्ययित शेष आदि जैसे कारकों सहित मंत्रालयों/विभागों की सभी आवश्यकताओं पर विचार करने को के बाद तैयार किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

59. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न कल्याणकारी और सब्सिडी कार्यक्रमों¹ के अंतर्गत दिए गए वादों के लाभ पात्र और हकदार लाभार्थियों को ही मिल सके उसी या तो उनके घर पर अथवा बैंक खातों में सुपुर्द किया जा सके। इस डीबीटी कार्यक्रम से डिजिटल प्रौद्योगिकी का असरदार तरीके से प्रयोग हुआ है, जिससे लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने, लाभों को समय से सुपुर्दगी और दलालों का उन्मूलन करने में सहायता मिली है, इसी पब्लिक डिलीवरी प्रणाली से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आयी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में गरीबों का आर्थिक रूप से समावेश और आधार अधिनियम, 2016 के खंड 7 के तहत सब्सिडी, सेवाएं और लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पहचान का सबूत के रूप में तफ्तीश करने के लिए आधार के उपयोग को विधायी स्वीकृति से डीबीटी के प्रयासों में अतिरिक्त बल मिला है।

60. शुरुआत से ही डीबीटी एक सफल योजना रही है, जिसके तहत 56 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 434 योजनाएं इसके दायरे में हैं। मौजूदा डीबीटी ढांचे में प्रदत्त लाभों की किस्म के आधार पर योजनाओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

i) **नकद योजना** - इस श्रेणी में ऐसी 302 योजनाएं या इसके घटक शामिल हैं, जिनमें सब्सिडी/लाभ लाभार्थियों को सीधे उसके बैंक खाते में अवांटित किए जाते हैं। मसलन, "पहल" के अंतर्गत लाभार्थी एलपीजी सिलिंडरों की खरीद बाजार की दर पर करते हैं और सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जाती है। "मनरेगा" में मजदूरों की समग्र मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में अवांटित कर दिया जाता है।

ii) **भौतिक (इन-काइंड) योजनाएं** - इस श्रेणी में 74 योजनाएं अथवा इसके 74 घटक शामिल हैं, जिसमें लाभार्थी बिक्री केन्द्र पर "आधार" के सत्यापन के बाद सब्सिडी, माल पण्यों के रूप में प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पीडीएस के अंतर्गत सस्ते दरों पर खाद्यान्न उचित दर की दुकानों के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों को ही वितरित किया जाता है। उर्वरक सब्सिडी योजना के अंतर्गत उर्वरक कंपनियां किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक बिक्री केन्द्र पर "आधार" सत्यापन के बाद देती है। शेष योजनाएं मिश्रित योजनाएं हैं, जिनमें "नगद" और "भौतिक वस्तुएं" दोनों शामिल हैं। एक ऐसी ही योजना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की "स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण" योजना है, जिसमें घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए कतिपय क्षेत्रों में चिह्नित लाभार्थियों को निधि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है, जबकि कुछ अन्य मामलों में लाभार्थियों के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाता है, जिससे किसी निधि के अंतरण की आवश्यकता नहीं होती है।

61. छात्रवृत्तियों के "वन-स्टोप" समाधान मुहैया कराने के लिए 1/7/2015 से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

1. केवल भारत की समेकित निधि से वित्तपोषित

पोर्टल शुरू किया गया है जोकि डिजिटल भारत कार्यक्रम" का एक प्रमुख हिस्सा है। यह अनेक किस्म की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है, जिसमें छात्रों के आवेदन पत्रों को जमा करने से संबंधित पंजीकरण, सत्यापन, राष्ट्रीय स्तर पर जी-डुप्लिकेशन, मेरिट सूची का सृजन निधियों की मंजूरी एवं इलैक्ट्रॉनिकी अंतरण, आदि शामिल हैं, जिससे छात्रवृत्ति के प्रभावी वितरण को सहज बनाने के लिए "शुरू से अंत" तक एक व्यापक समाधान मुहैया होता है। शुरुआती झटकों और चुनौतियों से निजात पाने के बाद एनएसपी ने काफी अनुभव/परिपक्वता हासिल कर ली है, जिससे न केवल केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाएं पूरी हो रही हैं, अपितु केंद्र प्रायोजित तथा राज्य/संघ क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं को भी पूरा कर रही है। इस समय इस पोर्टल पर 14 लाख संस्थान/महाविद्यालय पंजीकृत हैं। यथासंभव सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि एनएसपी के जरिए छात्रों को सरल सहज, बिना किसी रुकावट के छात्रवृत्ति मुहैया होती रहे और किसी किस्म की छद्म अथवा लीकेज की गुजाइश न रहे।

62. उपर्युक्त योजनाओं में डीबीटी कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से डीबीटी भारत पोर्टल के जरिए की जा रही है। डीबीटी को अपनाने के बाद, "कैश और काइन्ड" स्कीमों के तहत ₹5,78,440 करोड़ डीबीटी के जरिए अंतरित किया जा चुके हैं। 7/1/2019 तक वित्तीय वर्ष 2018-19 में डीबीटी स्कीमों के तहत 123.9 करोड़ पात्र लाभार्थियों को ₹2,04,643 करोड़ अंतरित किए जा चुके हैं। छद्म अथवा फर्जी लाभार्थियों के उन्मूलन के बाद प्रमुख मंत्रालयों तथा विभागों को डीबीटी तथा संबद्ध शासकीय सुधारों के फलस्वरूप ₹90,000 करोड़ का लाभ हुआ है।

63. **सब्सिडी** : प्रमुख सब्सिडियों पर किए जाने वाले व्यय के लिए आंबटन, बजट अनुमान 2019-20 में ₹2,96,684 करोड़ रखा गया है जो जीडीपी का 1.4 प्रतिशत के समकक्ष है।

64. **उर्वरक** : नयी यूरिया नीति - 2005, जो 01 जून, 2015 से लागू है जिसका उद्देश्य स्वदेशी यूरिया के उत्पादन को अधिकतम करना; यूरिया के उत्पादन ऊर्जा की कार्यकुशलता को बढ़ावा देना; और सरकार के यूरिया के भार को तर्कसंगत बनाना है। नई यूरिया नीति - 2015 के फलस्वरूप अनेक वर्षों से अतिरिक्त उत्पादन हुआ है जिसके लिए कोई क्षमता नहीं जोड़ी गई है।

(i) यूरिया के 45 किलो के बैग की शुरुआत :- भारत सरकार ने यूरिया के 45 किलो के बैग के स्थान पर सितम्बर, 2017 से 50 किलो के बैग की शुरुआत की है। इस नीति को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए यूरिया इकाइयों को छह माह का तैयारी करने का समय दिया गया था। कृषि और सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 01 मार्च 2018 को इन बैगों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति 45 किलो के बैग के लिए ₹242 अधिसूचित किया (जिसमें केंद्रीय/राज्य उपकर तथा अन्य प्रभार शामिल नहीं हैं)। 9 मार्च, 2018 की अधिसूचना द्वारा उर्वरक विभाग ने इस नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य को अधिसूचित करने की तारीख दो माह का समय तैयारी के लिए दिया था।

(ii) उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यान्वयन - उर्वरक विभाग ने उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत करने के लिए कार्रवाई की है और 17 जिलों में प्रायोगिक डीबीटी परियोजना के सफल कार्यान्वयन के बाद अब मार्च, 2018 से डीबीटी पूरे भारत में शुरू कर दी गई है। विभाग में एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो केवल डीबीटी के कार्यान्वयन की ही निगरानी करता है। चल रही डीबीटी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए सभी राज्यों में 24 राज्य समन्वयकर्ता नियुक्त किए गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की तैयारी के रूप में देश भर के विविध प्रकार के हितधारकों के प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देने के लिए 15 सदस्यों वाली एक बहु भाषाई समर्पित सहायता डेस्क स्थापित किया गया है।

(iii) डीबीटी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान पर पीओएस उपकरण स्थापित करने और खुदरा दुकानदारों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सभी राज्यों में 2.22 लाख पीओएस उपकरण स्थापित किए गए हैं। प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं और राज्य समन्वयकर्ताओं द्वारा लगभग 2.22 लाख खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। देश भर में 7716 प्रशिक्षण सत्र चलाए गए हैं। अक्टूबर, 2018 तक डीबीटी स्कीम के अंतर्गत 457.86 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की गई है।

65. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के बजट में खाद्य सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है ताकि खाद्यानों की आर्थिक लागत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर उनकी बिक्री को मूर्त रूप देने के बीच अंतर को पूरा किया जा सके। खाद्य सब्सिडी जारी करने को तर्कसंगत बनाने के लिए आनुषांगिक सिद्धान्तों में संशोधन किया गया है ताकि खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य गनी बैगों की लागत और संपरीक्षित लेखाओं को समय से प्रस्तुत करने में चूक करने वाले राज्यों के सांविधिक प्रभारों को छोड़कर प्रापण आनुषांगिक प्रापणों के लाभ के सूचीकरण को सीमित किया जा सके। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग संपरीक्षित लेखाओं को समय से प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों से अनुसरण करता रहता है ताकि उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा सके और बजटीय आंबटन के लिए सब्सिडी का बेहतर ढंग से अनुमान लगाया जा सके। 12 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, नागालैंड, चंडीगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, पुदुच्चेरी, राजस्थान और महाराष्ट्र) ने डीबीटी स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण आपूर्ति के लिए प्राप्त अपने केरोसिन आंबटन (पीडीएस केरोसीन) का स्वेच्छा से अभ्यर्पित कर दिया है। आज की तारीख तक 8 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सार्वजनिक वितरण आपूर्ति के लिए प्राप्त अपने केरोसीन आंबटन को घटाकर शून्य कर दिया है। वर्ष 2018-19 (पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही) के दौरान सार्वजनिक वितरण आपूर्ति के लिए प्राप्त अपने केरोसीन (पीडीएस एसकेओ) कोटा का अभ्यर्पण करने वाले राज्यों को छोड़कर पीडीएस केरोसीन को गत वर्ष (2017-8) के समनुरूपी अवधि के स्तर पर बनाए रखा गया है।

सरकारी उधार, ऋण और निवेश संबंधी नीति

66. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए उधार लेना, सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। वर्ष 2018-19 में राजकोषीय हुंडियों के जरिए निवल उधारी ₹17,000 करोड़ तक ही रखी गई। वर्ष 2018-19 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में छोटी बचत स्कीमों में उच्च निवल अन्तर्वाह थे। एनएसएसएफ की परिधि से राज्यों को हटाने संबंधी 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के अनुसरण में एनएसएसएफ में केंद्र सरकार के निवेश के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे सरकार की एफडी के वित्तपोषण के लिए बाजार उधारों पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम हुई है। एनएसएसएफ से एफडी वित्त पोषण का हिस्सा 2019-20 में अधिक होकर सकल राजकोषीय घाटे का 18.5 प्रतिशत बने रहने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, राज्य भविष्य निधि और लोक लेखा से अन्य प्राप्तियों इस घाटे के शेष अंश वित्तपोषण करेंगी।

67. विवेकशील ऋण प्रबंधन अच्छी आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण उपाय है और वित्तीय स्थिति की पूर्वापेक्षा भारत ने ऋण नीति सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात के धीरे धीरे कम करने के सिद्धांत द्वारा चालित है ताकि ऋण शोधन लागतें घटाई जा सकें और दूसरे खर्चों के लिए वित्तीय गुंजाइश बनाई जा सके। इस ऋण नीति का जोर स्थिर, निम्न लागत वाली और विवेकपूर्ण ऋण संरचना बनाए रखने पर है। भारत सरकार वापसी खरीद करती रही है तथा उन्मोचन के दबाव को समान रूप से फैलाने, भावी जोखिमों को कम करने तथा नकद अधिशेष का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से परिवर्तन करती है। आगामी वर्षों विशेषकर 2021-22 और 2022-23 के दौरान उन्मोचन दबावों के दृष्टिगत सरकार अपनी सक्रिय ऋण प्रबंधन कार्ययोजना जारी रखेगी। इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में वापसी खरीद हेतु ₹71,941 करोड़ तथा बदलने के लिए ₹28,059 केन्द्र की बजटीय व्यवस्था की गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ₹50,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद और ₹50,000 करोड़ बदलने के लिए इस प्रकार कुल ₹100,000 करोड़ की व्यवस्था करेगी।

68. सरकार की प्राथमिक निर्गमन कार्यनीति का ध्यान बहु बेंचमार्क वाली परियोजनाओं के तहत नई प्रतिभूतियों के निर्गमन भी विद्यमान प्रतिभूतियों के तहत वृद्धाकार परिणाम के निर्णय पर केंद्रित रहा है। सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमाओं की मध्यावधिक संरचना (एमटीएफ) में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 2018 व्यापक परिवर्तन किया गया जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमा बढ़ाकर अगले तीन वर्षों में सरकारी प्रतिभूतियों का 6 प्रतिशत कर दिया गया। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए गहन और तरल द्वितीयक बाजार का विकार करना, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन नीति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि यह ब्याज दरों को कार्यकुशल ढंग से पता लगाने में मदद करता है।

69. बाजार उधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, सरकार, प्रशासित बाजार दरों को बाजार दरों की तरह बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। लघु बचतों पर ब्याज दरों को अब मोटे तौर

पर प्रतिभूति प्रतिफल के साथ जोड़ा गया है। प्रत्येक तिमाही में इनकी समीक्षा की जाती है। एनएसएसएफ के अधीन निवल संग्रहण को वर्तमान में भारत सरकार के 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद 1 अप्रैल, 2016 से एनएसएसएफ से उधारों से राज्य सरकारों को अपवर्जित करने के लिए प्रायः प्रयोग में लाया गया है।

70. सरकारी ऋण प्रबंधन प्रचालन में पारदर्शिता लाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार, देश की समग्र ऋण स्थिति, समेकित सरकारी ऋण आंकड़ों, केन्द्र सरकार की ऋण प्रबंधन कार्यनीतियों आदि का विस्तृत व्योरा प्रदान करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रकाशित करती रही है। इन प्रकाशनों में सरकारी ऋण पर एक वार्षिक स्थिति पत्र शामिल हैं जिसमें ऋण प्रबंधन कार्यनीति और केन्द्र सरकार के ऋण शामिल हैं जिनसे सरकारी ऋण से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं। वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक स्थिति पत्र का लोकार्पण पिछली बार 27 फरवरी, 2018 को और वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक स्थितिपत्र का लोकार्पण 18 जनवरी, 2019 को किया गया था।

71. वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग में स्वतंत्र सांविधिक ऋण प्रबंधन एजेंसी नामतः सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) से पूर्व स्थापित अंतरिम प्रबंधन के लिए 4 अक्तूबर, 2016 को स्थापित सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) कालांतर में इसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और यह समयबद्ध रीति से पीडीएमए की स्थापना की दिशा में भी कदम उठा रहा है।

आकस्मिक और अन्य देयताएं

72. संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, केन्द्र सरकार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधारों के पुनर्भुगतान की गारंटी देती है। एफआरबीएम अधिनियम, केन्द्र सरकार को गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताएं माने जाने हेतु वार्षिक लक्ष्य विनिर्दिष्ट करने का अधिदेश देता है। तदनुसार, एफआरबीएम नियमावली उन संवर्धनात्मक गारंटियों के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा नियत करती है जिन्हें सरकार किसी विशेष वित्त वर्ष में गारंटियां मान सकती है। मूल रूप से केन्द्र सरकार उधारों की लागत को कम करने तथा जिन मामलों में सरकारी गारंटी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के लिए एक पूर्वापेक्षा है, उनसे संबंधित अपेक्षा पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभों के साथ सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाओं या कार्यकलापों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के प्रयोजनार्थ गारंटियां प्रदान करती है। चूंकि सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियां, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट विधिक संस्थाएं हैं, अतः वे अपने ऋण के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी वित्तीय देयताओं की गारंटी देने की प्रक्रिया में सरकार ऐसी देयताओं को पूरा करने और पर्याप्त रूप से उनके प्रकटन का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

73. आकस्मिक देयताओं के बेहतर प्रबंधन के लिए, सरकारी वित्तीय नियमावली 2017 और सरकार की गारंटी नीति में ऐसे

विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनका नई आकस्मिक देयताओं को सरकारी गारंटियों के रूप में माने जाने से पूर्व अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि ऐसी गारंटियों से सरकार पर जोखिम पड़ता है अतः प्रस्तावों की सरकार द्वारा सीधे ही लिए जा रहे ऋण के तरीके से जांच की जाती है। नीति में वर्णित सिद्धांत इन देयताओं को आकस्मिक देयताएं माने जाते समय सरकार के जोखिम प्रकटन को न्यूनतम करने के लिए संरचना विनिर्दिष्ट करते हैं। सिद्धांतों में भावी धन देने (पे आउट) की संभावना, कार्यकलाप की प्राथमिकता, चुनिंदा क्षेत्रों के लिए प्रकटन को सीमित करने हेतु गारंटी पर संस्थागत सीमाओं और बजटीय सहायता या सुविधा के अन्य स्वरूपों की तुलना में गारंटी की अपेक्षा सहित जोखिम का मूल्यांकन शामिल हैं।

74. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं का स्टॉक पूर्णता की दृष्टि से वर्ष 2004-05 में ₹1,07,957 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के अंत में ₹3,80,172.80 करोड़ हो गया। किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा माने जा सकने वाली गारंटियों के संबंध में एफआरबीएम की अधिकतम सीमा के परिणामस्वरूप वर्तमान में जीडीपी के अनुपात की तुलना में आकस्मिक देयताओं में गिरावट आई है। यह अनुपात जो वर्ष 2004-05 में 3.3 प्रतिशत पर स्थिर रहा था, वर्ष 2017-18 में गिरकर 2.27 प्रतिशत रह गया है। एफआरबीएम नियमावली, 2004 में यथा निर्धारित बकाया गारंटियों संबंधी प्रकटन विवरण, प्राप्ति बजट के अनुबंध भाग ख का 1 (ii) के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, गारंटियों के स्टॉक की निवल प्रत्यायन ₹13,984.10 करोड़ रुपये थी, जो जीडीपी का 0.08 प्रतिशत बैठती है। यह एफआरबीएम नियमावली के तहत 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

रेल बजट

75. रेल बजट को 2017-18 से आम बजट में विलय कर दिया गया है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में रेलवे के अनुमानों सहित केन्द्र सरकार का एकमात्र विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विलय की शर्तों के अनुसार, रेलवे एक विभागीय रूप से चलने वाले वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में कार्य करता रहेगा जिसके लिए सामान्य कार्य संचालन व्यय (ओडब्ल्यूई), इसके कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों और पेंशन के साथ-साथ इसके सभी राजस्व व्यय को इसके राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की आवश्यकता है। 2017-18 से लगी हुई पूँजी को हटा देने के साथ ही सरकार को रेलवे द्वारा दिए जाने वाले लाभांश भुगतान की आवश्यकता और लाभांश के भुगतान में सरकार से सब्सिडी की प्राप्ति समाप्त कर दी गई है। तथापि, सरकार इसके पूँजीगत व्यय के भाग को पूरा करने के लिए रेलवे को सकल बजटीय सहायता प्रदान करती रहेगी।

76. रेलवे राजस्व की प्राप्ति मुख्यतः यात्री और माल यातायात से होती है। कुछ आमदनी दो बड़ी कोटियों जिन्हें अन्य 'कोचिंग और विविध' कहा जाता है, के अंतर्गत सामान/पार्सल, भूमि के व्यावसायिक उपयोग, साइडिंग प्रभारों, विज्ञापन आदि से होती है।

इन आमदनीयों का उपयोग सामान्य कार्य संचालन व्यय जिन्हें ओडब्ल्यूई कहा जाता है, मूल्यहास और पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए किया जाता है। शेष आधिक्य का उपयोग प्रणाली की सुरक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे के पूँजी निवेश में शामिल करने के लिए किया जाता है।

77. रेलवे के वित्त में पिछले दशक में काफी सुधार हुआ है यहां तक कि इसने 2007-08 में 75.9 प्रतिशत का परिचालन अनुपात प्राप्त किया। यह मुख्यतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उछाल के कारण हुआ जो रेल यातायात में परिलक्षित होता है। तथापि, छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों लागू होने के परिणामस्वरूप 2007-08 के बाद ओडब्ल्यूई और पेंशन भुगतान में भारी वृद्धि हुई, जबकि पिछली आमदनी की वृद्धि की पहले देखी गई गति बनाए नहीं रखी जा सकी। परिणामस्वरूप, रेलवे का परिचालन अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान, रेलवे का प्रचालन अनुपात 98.4 प्रतिशत था।

78. वित्त वर्ष 2017-18 में, चूंकि भारतीय रेल का संचालन व्यय, विशेष तौर पर स्टाफ और पेंशन पर लागत, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के चलते लगातार बढ़ता गया, इसलिए रेलवे की कुल प्राप्तियों में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हो पाई। यात्रियों से होने वाली आय-अर्जन में वृद्धि उम्मीद से कम रही जिसका प्रमुख कारण था ट्रेन प्रचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेक में अनिवार्य रखरखाव/नवीकरण के लिए अनेक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था, जिसका पीआरएस भाग से होने वाली आय-अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विविध भाग में भूमि में मौद्रिकीकरण और विज्ञापन के अंतर्गत राजस्व के लक्ष्यों के भारी गिरावट आई। माल गाड़ियों में, पिगआयरन और तैयार स्टील के अंतर्गत लक्ष्य में मुकाबले कम लदान हुआ और एनटीपीसी के साथ दीर्घावधिक मालभाड़ा, करार करते हुए लौह अयस्क को न्यूनतम कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप आय में कमी आई। सकल यातायात प्राप्तियों के लक्ष्य से भी कम रहने और भत्तों पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त भार के बावजूद, रेलवे उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही संचालन सुचारू रूप से करने और प्रचालन अनुपात को 98.4% पर कायम रखने में सफल रहा।

79. वर्ष 2018-19 में, रेलवे के यात्रियों और मालभाड़े में यातायात से होने वाली कुल आमदनी में वृद्धि हुई है। तथापि, यातायात से होने वाली आम बजटीय प्रत्याशाओं के मुकाबले कम रही। इसलिए, रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियों को वर्ष 2017-18 में वास्तविक आंकड़ों पर 10.1% की वृद्धि के साथ संशोधित अनुमान 2018-19 में ₹1,96,714 करोड़ पर रखा गया है, पेंशन संबंधी व्यय को 8.8% की अनुमानित वृद्धि के साथ ₹1,89,000 करोड़ पर रखा गया है।

80. आंतरिक संसाधन का सृजन 2016-17 में ₹3,206 करोड़ की तुलना में सं.अ. 2018-19 में ₹6,514 करोड़ होने की संभावना है। सं.अ. 2018-19 में परिचालन अनुपात 96.2 प्रतिशत लक्षित है। परंपरागत रूप से रेलवे की यात्री सेवाएँ हानि में हैं और 2017-18 में लगभग ₹34,000 करोड़ की कम वसूली की गई थी। पिछले कई वर्षों से रेलवे में पूँजी व्यय में वृद्धि हुई है। 2016-17 में ₹1,09,935 करोड़, 2017-18 में ₹1,01,985 करोड़ और संशोधित

अनुमान 2018-19 में ₹1,38,858 करोड़ की पूँजी व्यय की तुलना में बजट अनुमान 2019-20 में ₹1,58,658 करोड़ की पूँजीगत परियोजना की परिकल्पना की गई है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम, 2003 में संशोधन

81. वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में, एफआरबीएम अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए और आगे के उपाय पर अपनी सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया था। तदुपरांत, एफआरबीएम के भावी रोडमैप की व्यापक रूप से समीक्षा करने और इस पर सिफारिशें देने के लिए मई 2016 में श्रीएन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने जनवरी, 2017 में सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद, सरकार ने समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

82. सरकार ने वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 13) के द्वारा राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को संशोधित किया। एफआरबीएम के संशोधित ढांचे में, सरकार के ऋण और राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख संशोधन निम्नानुसार हैं -

क. मध्यावधि ऋण की उच्चतम सीमा को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। इसमें, 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण के लिए जीडीपी का 60% तक का लक्ष्य और केंद्रीय सरकार के ऋण के लिए जीडीपी का 40% तक का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए सामान्य सरकारी ऋण को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कुल ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। केंद्रीय सरकार के ऋण में भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर केंद्रीय सरकार की कुल बकाया देयताओं को शामिल करके परिभाषित किया गया है। इन देयताओं में वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्यांकित विदेशी ऋण, भारत के लोक लेखा में कुल बकाया देयताएं और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय या अन्य संस्था की ऐसी वित्तीय देयताएं शामिल हैं जिन्हें सरकार को उस तारीख की समाप्ति पर उपलब्ध नकद शेष से कम करके वार्षिक वित्तीय विवरण से अदा या चुकाया जाना है।

ख. राजकोषीय घाटे (एफडी) को राजकोषीय समेकन के लिए केवल प्रचालनात्मक लक्ष्य के रूप में ही लिया गया है। एफडी को 31 मार्च 2021 तक जीडीपी के 3% पर लाने के लक्ष्य निर्धारण के लिए पैरामीटरों के रूप में राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटे को हटा दिया गया है।

ग. विरल/अप्रत्याशित घटनाक्रम की स्थिति में, एफडी लक्ष्यों से विपथन की अनुमति देने के लिए सुपरिभाषित मोचन खंड और बायोन्सी खंड को वापसी (रीटर्न) मार्ग के साथ शामिल किया गया है। इससे इन नियमों में उल्लंघन को रोकते समय राजकोषीय नियम की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए आवश्यक विपथनों को पर्याप्त नम्यता मिलेगी।

आगामी वर्ष के लिए कार्यनीतिक प्राथमिकताएं :

83. आगामी वर्ष में व्यय की दक्षता और कर संग्रहणों में सुधार लाने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा

सके कि अर्थव्यवस्था वापस राजकोषीय घाटे के उसी मार्ग पर लौट आए जो एफआरबीएम अधिनियम में उल्लिखित है। मध्य से दीर्घ अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाएं काफी उत्साहजनक हैं। अतः, जीडीपी में नाममात्र की वृद्धि के राजकोषीय प्रबंधन को मिले उछाल और राजस्वों में परिणामी वृद्धि से अर्थव्यवस्था की राजकोषीय संभावनाओं को बल मिलने की आशा है।

अधिनियम की धारा 4(5) के उपबंधों के अनुसार विपथन के कारणों को स्पष्ट करने वाली तथा निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्यों पर वापस लौटने के मार्ग का विवरण

84. अधिनियम द्वारा यथाविदित एफडी के मार्ग में थोड़ा विपथन दो मुख्य कारणों के कारण अवशंभावी है - देश में जीएसटी का संक्रमणकालीन प्रभाव और कृषि की स्थिति। दिनांक 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी को लागू करना आर्थिक महत्व का एक ढांचागत सुधार था। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के बीच संगम हुआ जिससे सभी आर्थिक एजेंट-विनिर्माता, डीलर और उपभोक्ता लाभान्वित हुए। हालांकि, ऐसे गहरे ढांचागत सुधारों को लागू करना थोड़ा कष्टदायक होता है। एक सुदृढ़ राजकोषीय संस्था होने के नाते और सहकारी राजकोषीय संघवाद के सच्चे अर्थों में, केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के तंत्र के माध्यम से सभी राजकोषीय नुकसानों का बोझ उठाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया है। जीएसटी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 2018 में वर्ष 2015-16 में राज्यों द्वारा संग्रहित राशियों से इनके लिए कर राजस्वों में 14% की वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी गई है। यह व्यवस्था जीएसटी को कार्यान्वित करने के प्रथम 5 (पांच) वर्षों के लिए जारी रहेगी।

85. वर्ष 2018-19 जीएसटी क्रियान्वयन का प्रथम पूर्ण वर्ष है। विगत 18 महीनों के दौरान दरों में परिवर्तन होता रहा है। इन दर-परिवर्तनों से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला कर-भार कम हुआ है और लंबे समय बाद, इससे अनुपालन में सुधार आएगा, वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और जीएसटी और अधिक निष्पक्ष होगा। जीएसटी की प्रभावकारिता इस संक्रमण अवधि के समाप्त होने के बाद मूर्त रूप लेगी। व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के मुद्दे का समाधान करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। अनुमान है कि कृषि अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को संभालने में किसानों को सहायता की आवश्यकता है। सरकार को कृषि अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का सामना करने और इस क्षेत्र में निहित कष्ट को न्यूनतम करने के लिए किसानों को मदद प्रदान करने में अतिमहत्वपूर्ण और प्रभावी रूप से बड़ी भूमिका निभानी होगी। अनुमान है कि संशोधित अनुमान 2018-19 में राजकोषीय घाटा (एफडी) जीडीपी के 3-4% पर रहेगा। इसी कारण से, 2019-20 में एफडी के जीडीपी के 3-4% पर रहने का अनुमान है। इन संशोधनों को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 4(2) के उपबंधों के तहत किया गया है। इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(3) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया गया है कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य से विपथन जीडीपी के 0.5% के भीतर रहेगा जोकि अधिनियम में विहित और अनुमत की गई सीमा है।